


# कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पश्चिम) : दिल्ली

## आदेश

विषय : रबड़ की मोहरें आवश्यक तौर पर हिंदी अथवा हिंदी-अंग्रेजी (द्विभाषी) में बनवाने संबंधित।

पूर्ववत् जारी परिपत्र संख्या 1462-1712/हिंदी/सामान्य/128/2017, दिनांक 07.01.2017, प्रतिलिपि संलग्न, का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि न्यायालय व कार्यालय में उपयोग होने वाली रबड़ की मोहरें आवश्यक तौर पर हिंदी अथवा हिंदी-अंग्रेजी (द्विभाषी) में बनवाएँ। परन्तु इसके बावजूद यह संज्ञान में आया है कि उपर्युक्त विषय पर पूर्ववत् निदेशों का समुचित अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

अतः यह आदेश दिया जाता है कि न्यायालय व कार्यालय में उपयोग होने वाली सभी प्रकार की रबड़ की मोहरें आवश्यक तौर पर हिंदी अथवा हिंदी-अंग्रेजी (द्विभाषी) में ही बनवाएँ और उनका उपयोग करें।




(धर्मेश शर्मा)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (पश्चिम),  
तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

संख्या 90635-20719/238/हिंदी/पश्चिम/नीतिगत/2019 दिल्ली, दिनांक 10 JUL 2019

उपर्युक्त परिपत्र की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित करें :-

1. माननीय विद्वत जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
2. विद्वत प्रधान न्यायाधीश, अति० प्रधान न्यायाधीश व न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
3. श्री वीरेन्द्र गोयल, विद्वत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, श्री संजीव जैन, विद्वत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-सदस्य, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, श्री मुकेश कुमार गुप्ता, विद्वत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-सदस्य, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति।
4. माननीय विद्वान अध्यक्ष, समस्त समितियाँ, पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
5. समस्त विद्वत न्यायिक अधिकारी, पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
6. विद्वत मुख्य महानगर दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य महानगर दण्डाधिकारी, पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
7. सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण, पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
8. विद्वत प्रशासनिक दीवानी न्यायाधीश, पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
9. सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) व अनुभाग प्रमुख, पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
10. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, लेखा अनुभाग, पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
11. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/अनुभाग प्रमुख, सामान्य अनुभाग, पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
12. रबड़ की मोहरों को बनवाने संबंधित कार्य करने वाला संबंधित कर्मचारी।
13. (वरि.) प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), समस्त न्यायिक जिलों के राजभाषा हिन्दी अनुभाग, केवल सूचनार्थ।
14. प्राप्ति एवं निर्गम शाखा, लेयर्स पर अपलोड करने हेतु।
15. अधोहस्ताक्षरी के निजी सचिव।



जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (पश्चिम),  
तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) : दिल्ली

परिपत्र

राजभाषा हिन्दी के संयुक्त कार्यालय के संबंध में कोन्द्रीय हिन्दी कार्यन्वयन समिति, जिला न्यायालय, सीड इजारी, दिल्ली से प्राप्त पत्र की प्रतिलिपि आप सभी को प्रेषित की जाती है। इस परिपत्र को जारी करने की स्वीकृति नगरनीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) से दिनांक 04.01.2017 को प्राप्त हो चुकी है। अतः आप सभी से यह आशा की जाती है कि आपके न्यायालय अथवा कार्यालय में उपलब्ध होने वाली रबर की मोहरे आवश्यक तीर पर हिन्दी अथवा हिन्दी-अंग्रेजी (द्विभाषी) में बसवाएँ। आप सभी से यह भी अनुरोध है कि इस विषय में अनुपालन के लिए आवश्यक कार्यवाही करें।

*श्रीमती*  
(बीज प्रेष)

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
ऑफिसर इन्चार्ज  
सामान्य अनुभाग (कोन्द्रीय)

संख्या 1462-17/2  
दिल्ली/सामान्य/128/2017

दिल्ली, दिनांक 07/1/17

परिपत्र की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:-

1. जनरल नगरनीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीड इजारी, परिपाला हाउस, कडमसूना, रोडिणी, झारका प सारको न्यायालय परिपत्र, दिल्ली/ नई दिल्ली।
2. कोन्द्रीय न्यायिक अधिकारी, सीड इजारी, दिल्ली।
3. अध्यक्ष/सदस्य, कोन्द्रीय पुस्तकालय समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली।
4. निधि सचिव, नगरनीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), सीड इजारी, दिल्ली।
5. साइबरविभाग, सीड इजारी, दिल्ली।
6. जनरल परिषद प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), अनुभाग प्रमुख, सीड इजारी, दिल्ली।
7. सूचना पट्ट, सीड इजारी, दिल्ली।
8. वेबसाइट समिति, अंग्रेजी/हिन्दी, जिला न्यायालय दिल्ली।
9. कोन्द्रीय हिन्दी कार्यन्वयन समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली।



*श्रीमती*  
(बीज प्रेष)

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
ऑफिसर इन्चार्ज  
सामान्य अनुभाग (कोन्द्रीय)

17-217